



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

आषाढ 15, बुधवार, शाके 1938-जुलाई 6, 2016
Asadha 15, Wednesday, Saka 1938-July 6, 2016

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये

कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 11, 2008

एस.ओ.52 :-गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 17 की उप-धारा (2) सपटित उप-धारा (3) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.23 (2) चिकि. एवं स्वा./ग्रुप-3/2003/पार्ट दिनांक 01-07-2003 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, विद्यमान अभिव्यक्ति "निदेशक (परिवार कल्याण) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं" को अभिव्यक्ति "शासन सचिव (परिवार कल्याण), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग" से प्रतिस्थापित किया जावेगा।

[संख्या प.23(2)चि. एवं स्वा./ग्रुप-3/08 पार्ट]

राज्यपाल के आज्ञा से,

हंसा सिंह देव,

उप शासन सचिव।

53

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

MOST URGENT

विभागीय केवलाइट
एट् उपलब्ध है?

RP
27/7/16

J P Vijay